



163

न्यायालय: समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. निग/ 12016

निग 1867-I-16

भंवरी बाई पत्नि देवल्य

जाति आदिवासी (स)

नि.कस्बाश्योपुर जिला श्योपुर(म.प्र.)

.....आवेदिका/निगरानीकर्ता

बनाम

- (1) म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर  
श्योपुर म.प्र.
- (2) अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर
- (3) उपपंजीयक जिला श्योपुर म.प्र.

.....अमावेदक/गैरनिगरानीकर्ता गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता  
विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी  
श्योपुर के आ. क्र. 1312 निम्नंक दिनांक  
01/06/2016 से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :- यह है कि आवेदिका के नाम पटवारी हल्का नं. 36 कस्बा श्योपुर तहसील श्योपुर में भूमि सर्वे क्रमांक 306 व 308 कुल रकबा 2.163 हैक्ट. भूमि स्थित है उक्त भूमि आवेदिका के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय आदेश क्रमांक 112/10-11/अ.मा. 07/01/2016 से भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय किये गये हैं। आवेदिका वृद्ध महिला है तथा देखरेख करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है आवेदिका का स्वास्थ्य भी खराब रहता है जिस हेतु उचित उपचार के लिए आवेदिका जयपुर राजस्थान अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रहना चाहती है आवेदिका को इलाज हेतु रुपये की आवश्यकता है एवं आवेदिका के पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है तथा वर्तमान समय में आवेदिका की उम्र 68 वर्ष है अत्यधिक उम्र की वजह से आवेदिका

Diwan Kar Dixit  
10-6-16

दिवाकर दीक्षित, को.प्र.  
सारा नाम दि. 10.6.16 (स)  
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1/10

